संख्या:– 510 /XXVII(1)/2008

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून:: दिनांक: 21 :जुलाई,2008

विषय:– द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2008–09 की द्वितीय किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2008–09 की द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि **रू0 79803000.00 (रू0 सात करोड़ अट्ठानवें लाख तीन हजार मात्र)** को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

1– संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमः वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

2–कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3– संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या:– 1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।

4– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5– उपयोग प्रमाण–पत्र सम्बंधित आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

Draft 2007-08 Zila Panchayat.doc

6– संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं –196– जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

21/7/2008

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः– 510 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– आयुक्त गढवाल मण्डल/कुँमाऊ मण्डल।
2– सचिव, पंचायती राज,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
4– निदेशक, पंचायती राज,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0 सचिवालय,देहरादून।

आज्ञा से,

21/7/2008

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः– 510 /XXVII(1)/2008
दिनांकः 21 जुलाई,2008 का संलग्नक।
द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु जिला पंचायतों को संस्तुत समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 सं0	जिला पंचायत का नाम	द्वितीय किश्त
1	2	3
1	अल्मोड़ा	6824
2	बागेश्वर	2414
3	चमोली	5680
4	चम्पावत	2055
5	देहरादून	6544
6	हरिद्वार	8972
7	नैनीताल	4543
8	पौड़ी गढ़वाल	16620
9	पिथौरागढ़	5859
10	रूद्रप्रयाग	2507
11	टिहरी गढवाल	6658
13	उत्तरकाशी	4383
13	उधमसिंह नगर	6744
	योगः–	79803

(रू0 सात करोड़ अठ्ठानवें लाख तीन हजार मात्र)

21/7/2008
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।